निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रसंख्या C-1603/ बा0वि0परि0 / कि0श0यो0–22 / 2007–08 दिनांक 26 अक्टूबर 2007

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी /
बाल विकास परियोजना अधिकारी (प्रभारी)
उत्तर प्रदेश ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत 60 दिवसीय व्यवहारि… एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण कराने हेतु संस्था के चयन हेतु विज्ञप्ति का प्रारुप एवं चयन हे… मानक पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । संस्था का चयन दिनां… 15 नवम्बर 2007 तक कर चयनित संस्थाओं की सूचना दिनांक 19 नवम्बर 2007 तक श्रीमत… आकृति यादव अपर परियोजना प्रबन्धक, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर… नियमानुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ कर समय से योजना का संचालन करायें तथा प्रशिक्षण क… गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें ।

संलग्नक :– यथोक्त ।

(दाता दीन पासी)
निदेशक
25.10.2007

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी , उत्तर प्रदेश ।

प्र-दर्ज संख्या 1517 ता 3/11/7

(दाता दीन पासी)
निदेशक

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
जनपद- सुल्तानपुर

उक्त पत्र संलग्नकों सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

03-XI-07
D.P.O

विज्ञप्ति

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत 60 दिवसीय व्यवहारिक एवं व्यवसायिक देने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। संस्थाएं निम्न बिन्दु सूचनाओं सहित प्रस्ताव दिनांक.................तक जिला कार्यक्रम कार्यालय जनपद करें :

1. संस्था का नाम / दूरभाष नम्बर / फैक्स नम्बर / ई मेल।
2. संस्था की संरचना (ओनरशिप / स्वामित्व)।
3. संस्था का पंजीकरण (कम से कम तीन वर्ष)

संस्था प्रमुख व अन्य पदाधिकारी के नाम।

4. संस्था को कम से कम 05 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हो
5. मान्यता प्राप्त संस्थाओं के आपके स्रोत तथा तीन साल की सी0ए0 द्वारा अ बैलेन्स शीट।
6. वर्तमान में किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा किशोरियों को दिये जाने वाले अन्य प्रशिक्षण।
7. किशोरियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का अनुभव।
8. संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षकों की योग्यता।
9. प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता (सम्बन्धित व्यवसाय में)।
10. प्रशिक्षकों द्वारा इससे पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 में किन क्षे योजना से सम्बन्धित कार्य किया गया।
11. किशोरियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का अनुभव।

संस्था का चयन करने के सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम अधिकारी की अ में गठित समिति में निहित रहेगा। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 10 दि अन्दर संस्था के प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे। संस्था का चयन बिना किसी पूर्व के निरस्त किया जा सकता है।

किशोरी शक्ति योजना

भारत सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा किशोरी शक्ति योजना प्रदेश की 840 परियोजनाओं में संचालित की जा रही है। किशोरी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना, पोषण सम्बन्धी रक्ताल्पता को कम करना, उनको शरीर एवं स्वयं के बारे में जागरूक करना तथा बालिकाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनमें आत्मसम्मान जागृत करना है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 60 किशोरी बालिकाओं को चयनित कर 30--30 के दो समूहों में तीन दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण प्रशिक्षण तथा 60 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है

तीन दिवसीय प्रशिक्षण के विषय बिन्दु:–

1. थर्मामीटर से बुखार नापना
2. सब सेन्टर पर जाकर ए0एन0एम0 के कार्य समझना
3. किशोरी समूह, बचत समूह
4. बच्चों का पूरक आहार तैयार करना
5. संतुलित भोजन की थाली तैयार करना
6. किचन गार्डेन की उपयोगिता

60 दिवसीय प्रशिक्षण के विषय बिन्दु:–

1. आवश्यक कानून एवं अधिकारियों की जानकारी।
2. घरेलू हिंसा पर समझ।
3. प्रार्थना पत्र लिखना
4. आवेदन पत्र भरना
5. शिकायत दर्ज कराना।
6. बैंक में खाता खोलना।
7. रेल/बस का टिकट खरीदना।
8. स्वच्छता तथा अच्छे स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारियां।

mah

9 प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण एवं उनसे बचाव की विधियों से [illegible]

10 कम लागत तथा उन्नत कृषि की जानकारी जिससे शासन की दूसरी हरित क्रान्ति की जानकारी हो सके।

11 बैंक में पैसा डालना, निकालना।

12 एफ0आई0आर0 करवाना

13. साइकिल चलाना, [illegible]

14. फ्यूज बनाना।

15 स्वयं सहायता समूह के गठन विषयक जानकारी।

16 बैंक से लोन लेने की प्रकिया

17. विपणन के विभिन्न आयामों की जानकारी (कुकरी, बेकरी, ब्लॉक प्रिन्टिंग)

18. विपणन की जानकारी तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करना

<u>संस्था द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्टः—</u>

1. संस्था द्वारा किशोरियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का अनुभव

2. किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत पूर्व में किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता से किया गया कार्य।

- <u>संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकनः—</u>

क0सं0		विषय	अ
1.		**संस्था द्वारा तीन वर्षों में किये गये कार्यों का मूल्यांकन**	
	अ	महिला एवं बाल विकास की योजनाओं में किये गये कार्यों का अनुभव तीन वर्ष – 11 पांच वर्ष – 13 सात वर्ष – 15	15
	ब	अन्य विकास सम्बन्धी योजनाओं में किये गये कार्यों का अनुभव तीन वर्ष – 3 पांच वर्ष – 4 सात वर्ष – 5	
	स	कार्यक्षेत्र का स्तर (प्रमाण पत्र आवश्यक) जनपद स्तर – 6 प्रदेश स्तर – 8 अखिल भारतीय स्तर – 10	

mgh

प्रशिक्षण के भुगतान की प्रक्रिया :-

1 प्रशिक्षण आरम्भ करने के समय अग्रिम 10 प्रतिशत

2 प्रशिक्षण शुरू होने के 15 दिन बाद 20 प्रतिशत (उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त)

3 अगले 15 दिन बाद 20 प्रतिशत (उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त)

4 आधा माह व्यतीत होने पर 30 प्रतिशत (उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त)।

5 प्रशिक्षण समाप्त होने पर 20 प्रतिशत (उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त)।

प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय विवरण :-

तीन दिवसीय प्रशिक्षण			साठ दिवसीय प्रशिक्षण		
क्र0सं0	विषय	धनराशि	क्र0सं0	विषय	धनराशि
1.	प्रशिक्षकों का मानदेय	1000.00	1	प्रशिक्षकों का मानदेय	9000.00
2.	प्रशिक्षकों को यात्रा भत्ता	1000.00	2	प्रशिक्षकों का यात्रा भत्ता	4000.00
3.	प्रशिक्षणार्थियों को अभिप्रेरणा भत्ता (रू0 30/- प्रति)	900.00	3	प्रशिक्षणार्थियों को अभिप्रेरणा भत्ता रू0 200/- प्रतिमाह	12000.00
4.	पाठ्य सामग्री	1000.00	4	पाठ्य सामग्री	3500.00
5.	रिफ्रेशमेंट	1100.00	5	रिफ्रेशमेंट	4500.00
6.	कार्यक्रम स्थल, बैनर, फोटोग्राफी, उद्घाटन एवं समापन	500.00	6	कार्यक्रम स्थल, बैनर, फोटोग्राफी, उद्घाटन एवं समापन	1500.00
7.	विविध व्यय	500.00	7	विविध व्यय	2550.00
	कुल योग	6000.00	8	कच्चा माल, उपकरण किराया आदि	7500.00
			9	संस्थागत शुल्क (10प्रतिशत)	4450.00
				कुल योग	49000.00

949
रक्षवाल

2		संस्था द्वारा [illegible]	[illegible]
	अ	कार्य सेक्टर [illegible] प्रचार प्रसार — [illegible] जागरूकता [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्वास्थ्य एवं [illegible] — [illegible] विपणन प्रशिक्षण (पांच से कम होने पर प्रत्येक कम मद पर [illegible] अंक [illegible]	
	ब	सेवा प्रकार केन्द्रित रूप से सेवा — [illegible]	
3		संस्था के द्वारा लेखा का [illegible]	[illegible]
	अ	उचित बुक कीपिंग — [illegible] चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा — [illegible] ऑडिटेड बैलेन्स शीट	
4.		संस्था में कार्यरत [illegible] स्टाफ का [illegible]	[illegible]
	अ	स्टाफ की संख्या तीन होने पर — 5 (न्यूनतम एक सामान्य दैनिक कार्य हेतु, एक लेखा सम्बन्धी कार्य हेतु तथा एक क्षेत्रीय कार्य हेतु तीन से अधिक होने पर प्रत्येक — [illegible] अतिरिक्त एक क्षेत्रीय कार्य हेतु स्टाफ के लिए (अधिकतम [illegible] अंक	
	ब	क्षेत्रीय कार्य हेतु स्टाफ द्वारा किये गये कार्य के अनुभव की [illegible] एक वर्ष — [illegible] एक वर्ष से अधिक प्रत्येक — [illegible] अतिरिक्त वर्ष के लिए (अधिकतम [illegible] अंक	[illegible]
5		संस्था की जन समुदाय में सामान्य [illegible]	[illegible]

कियान्वयन ढांचा:—

1 कार्यालय का स्थान एवं स्टाफ की स्थिति।

2 प्रशिक्षकों की भर्ती।

3 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

4 संस्था द्वारा किशोरियों का दिये गये प्रशिक्षण का [illegible] [illegible]